

संकेत नं०

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
स्वयंजगबहादुर सिंह प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
घरीली
घंदौली

पत्रांक: 5025 / टी-3 / रा0प0 / भा0सं0 संस्तुति

संखनंक : दिनांक :

विषय- स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16-05-2011 पर दिनांक 30-06-2011 को महानिदेशालय सेवायोज प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप-समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवा अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. one unit		Addl. one unit Total 3(1+1+1)	DIR-16/05/ ... w.e.f. Aug 21
2-	Electrician Addl. one-unit		Addl. one unit Total 3(1+1+1)	

DGET-6/24/165/2010 -IC

DATED 30/06/2011

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत कर अपनी आख्या बिन्दुवार साथ सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि यथिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के यथिष्ठ व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अधि भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल देव)

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षा)

पत्रांक : / टी-3 / रा0प0 / भा0सं0 संस्तुति / तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षा) कारणशी को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रायली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षा)